भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4471
उत्तर देने की तारीख : 23.03.2021

निर्धन एवं बेघर दिव्यांगजनों हेतु विकास योजनाएं

4471. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धन एवं बेघर दिव्यांगजनों हेतु उपयुक्त विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को नोट किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धन एवं बेघर दिव्यांगजनों के वित्तीय एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी) ने भी सरकार से निर्धन एवं बेघर दिव्यांगजनों के विकास/उत्थान हेतु उपयुक्त योजनाएं बनाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) और (ख) भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि '9' के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है। हालांकि, केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। मंत्रालय ने, 2014 में, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता ग्रस्त बेघर व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा ताकि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सकें।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग(डीईपीडब्ल्यूडी) के तहत एक सांविधिक निकाय, स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:

(i) समर्थ (रेस्पाइट देखभाल आवासीय योजना): अनाथों, परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रेस्पाइट) गृह प्रदान करना।

(ii) घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह): स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना। योजना देशभर में सुनिश्चित देखभाल प्रणाली के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना की स्थापना करने में सहायता प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन-सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख-भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

उक्त के अतिरिक्त, विभाग उन गरीब और बेघर व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूडी) के कल्याण और पुनर्वास के लिए अपने राष्ट्रीय संस्थानों, स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनैंस एंड डिवलेप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) और भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के साथ-साथ राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/संगठनों/संस्थानों और गैर—सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं लागू करता है।

विभाग दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) भी लागू करता है जिसके तहत सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के एक नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूडी) को कौशल प्रदान किया जाता है।

एनएचएफडीसी, विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जो देशभर में कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने या सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा की समग्र प्रगति में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की मदद करने के लिए उन्हें ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत एक घटक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना(आईजीएनडीपीएस) को लागू करती है इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गंभीर या बहु दिव्यांगता ग्रस्त और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 300/- प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया जाता है।

आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन के भुगतान के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के 7.73 लाख मौजूदा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 500 रुपये प्रति किश्त की दो समान किश्तों में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान भी किया गया है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए घोषित विशेष पैकेज है।

(ग) जी, नहीं।